न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी:– श्री ब्रजेश कुमार चान्दोलिया आर.ए.एस.

अपील संख्या:–53/2024 (GCMS No. 2024/60) (धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. राजकुमार पुत्र जगदीश
2. अनिल पुत्र जगदीश
3. विनोद पुत्र जगदीश

} जाति गुर्जर निवासी परमदरा तहसील डीग जिला भरतपुर।

.....अपीलान्टान

बनाम

1. जिला कलक्टर भरतपुर।
2. तहसीलदार डीग जिला भरतपुर।

.....रेस्पोडेन्टान

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट विरूद्ध न्यायालय जिला कलक्टर भरतपुर आदेश दिनांक 13.12.2016 बावत् आवंटन करने खसरा नम्बर 0.08 हैक्टे. पुलिस चौकी पास्ता मोड परमदरा थाना खोह।

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

उपस्थितिः–

1. अपीलांट की ओर से श्री पंकज कुमार, वकील।

नि र्ण य **दिनांक : 24.07.2024**

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत जिला कलक्टर भरतपुर के आदेश दिनांक 13.12.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 0.08 हैक्टे. साविक नम्बर 2750 रकवा विस्वा से निर्मित हुई जो कि संवत् 2010–13 के मध्य अपीलांट के बाबा स्व. बुद्वी के खुदकाश्त की आराजी थी। अपीलांट के पिता मुताबिक हिस्सा काबज रहकर काश्त करते थे। वर्तमान में अपीलांट काश्त कर रहे हैं। राजस्व कर्मचारियों ने संवत् 2014 में विवादित आराजी को सिवायचक दर्ज कर दिया। मौके पर आज भी अपीलांट का कब्जा है तथा रकवा खाली नहीं होने के कारण आज तक पुलिस चौकी का निर्माण नहीं हुआ है। राजस्व कर्मचारियों ने मौके से विपरीत खाली रकवे की रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। विवादित आराजी पर स्वयं को खातेदार घोषित करने के लिए उपखण्ड अधिकारी डीग के यहॉ एक दावा बदले बनाम पुलिस चौकी थाना

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

खोह नम्बर 183/21 प्रस्तुत किया हुआ है। वाद विचाराधीन रहते हुये आवंटन कर दिया गया। खसरा नम्बर 418 रकवा 0.08 हैक्टे. गैर मुमकिन चाह है जिसपर मौके पर कुआ है तथा सार्वजनिक प्याऊ बनी है। अब्दुल रहमान बनाम सरकार के फैसले में राजस्थान हाई कोर्ट ने अपने आदेश में नालों, कुओं के नम्बरों पर आवंटन के लिए रोक लगा रखी है। फिर भी आवंटन अधिकारी ने विवादित आराजी खसरा नम्बर 418 रकवा 0.09 हैक्टै. में से रकवा 0.08 हैक्टे. पुलिस चौकी पास्ता मोड परमदरा को आवंटित दिया गया। उक्त अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है। ।

2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। दिनांक 27.09.2022 को रेस्पोडेन्टस की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। दिनांक 27.03.2024 को पत्रावली संभागीय आयुक्त न्यायालय भरतपुर से स्थानान्तरित होकर इस न्यायालय में प्राप्त होकर प्रस्तुत हुई। वक्त बहस रेस्पोडेन्टस की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
3. हमने वकील अपीलांटस की अपील पर बहस सुनी।
4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्टस ने दौराने बहस अपने अपील मीमो में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए दलील देते हुये सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पर कथन किया कि आवंटन आदेश दिनांक 13.12.2016 की जानकारी डीग के अभिभाषक द्वारा यह बताने पर की आवंटन आदेश की अपील न्यायालय श्रीमान में होगी तब प्रार्थीगण द्वारा भरतपुर आकर आवंटन आदेश की जानकारी ली और दिनांक 02.02.2022 के नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन किया। दिनांक 15.02.2022 को नकल प्राप्त होने पर अपील अन्दर मियाद पेश की गई है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मय शपथ पत्र संलग्न कर अपील स्वीकार कर अन्दर मियाद शुमार की जाने हेतु निवेदन किया। इसके बाद कथन किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 418 रकवा 0.09 हैक्टे. गैर मुमकिन चाह साबिक खसरा नम्बर 2750 से निर्मित हुई है जिसमें से रकवा 0.08 हैक्टे. का आवंटन पुलिस चौकी पास्ता, परमदरा थाना खोह को आवंटन किया गया है। उक्त आराजी संवत् 2010–13 के मध्य अपीलांट के बाबा स्व. बुद्वी के खुद काश्त की आराजी थी जिसपर अपीलांटस के पिता मुताविक हिस्सा काबिज होकर काश्त करते थे। वर्तमान में अपीलांटस काश्त कर रहे हैं। राजस्व कर्मचारियों ने सम्वत् 2014 में विवादित आराजी को सिवायचक दर्ज कर दिया। मौके पर आज भी अपीलांटस का कब्जा है। रकवा खाली नहीं होने के कारण आवंटन वर्ष 2016 के बाद आज दिनांक तक पुलिस चौकी का निर्माण नहीं हुआ है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा मौके के विपरीत रकवे को खाली बताकर रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। विवादित आराजी पर स्वयं को खातेदार

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

घोषित कराने के लिए अपीलांटस ने अन्य परिवारजनों के साथ उपखण्ड अधिकारी डीग के यहॉ एक दावा नम्बर 183/21 उनवान वदले बनाम पुलिस चौकी थाना खोह प्रस्तुत कर रखा है। उक्त दावे से पक्षकारों के अधिकार तय होने हैं। नियमित दावा विचाराधीन होते हुये भी आवंटन अधिकारी द्वारा आवंटन किया गया है। खसरा नम्बर 418 रकवा 0.08 गैर मुमकिन चाह है जिसपर मौके पर कुआ है जिससे अपीलान्टस के अन्य खातेदारी के नम्बरों की सिंचाई होती है। मौके पर इसी नम्बर पर एक सार्वजनिक प्याऊ बनी हुई है। डी.बी.सि. रिट याचिका (PIL) संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार व अन्य के फैसले में राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में नालों, कूओं के नम्बरों पर आवंटन के लिए रोक लगा रखी है। चाह का आवंटन नहीं हो सकता है। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर आवंटन आदेश दिनांक 13.12.2016 निरस्त फरमाया जावे।

5. सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पर अपीलांटस द्वारा दिये गये तर्कों को नजरअंदाज किया जाना उचित नहीं है क्योंकि उन्होंने अपने प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। माननीय उच्चतम न्यायालय के समय–समय पर पारित निर्णयों में मयाद के संबंध में उदार दृष्टिकोण अपनाये जाने का अभिमत प्रतिपादित किया गया है ताकि मामलों में उभयपक्ष की उचित सुनवाई होकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित हो। अतः अपीलांटस का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है और विलम्ब अवधि को माफ किया जाकर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

6. विद्वान वकील अपीलांटस की बहस पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। उपखण्ड अधिकारी डीग द्वारा खसरा नम्बर 418 रकवा 0.09 हैक्टे. में से 0.08 हैक्टे. किस्म गैर मुमकिन चाह भूमि के पुलिस चौकी परमदरा हेतु आवंटन प्रस्ताव जिला कलक्टर भरतपुर को प्रेषित किये गये। आवंटन प्रस्ताव के साथ संलग्न जमाबंदीसंवत् 2070–73 एवं गिरदावरी संवत् 2070–73 में भूमि किस्म गैर मुमकिन चाह अंकित है तथा अपीलांट ने मौके पर कुआ एवं प्याऊ निर्मित होना बताया। राजस्थान भू राजस्व (स्कूलों, कॉलेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं, सार्वजनिक उपयोग के अन्य भवन निर्माणार्थ अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमियों को आवंटन) की शर्तें, 1963 नियम 1 (i) आवंटित की जाने वाली भूमि का वर्ग " जोहड, पायतन, नदी या तालाब के पेटे के रूप में दर्ज भूमि के सिवाय कोई भी अनाधिवासित सरकारी भूमि खण्ड 2 में वर्णित किसी भी प्रयोजन के लिए आवंटित की जा सकेगी, यदि आवंटन प्राधिकारी का यह समाधान हो जाये कि कोई भी उपयुक्त अकृष्य भूमि उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार नियमों में अनाधिवासित भूमि ही आवंटन की जा सकती है। अपीलांटस द्वारा मौके पर कुआ एवं प्याऊ होना बताया

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

है। अपील में इस कथन के खण्डन में रेस्पोडेन्टान द्वारा कोई दस्तावेज पेश नहीं किये हैं। "डी.बी.सि. रिट याचिका (PIL) संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.08.2004 एवं राजस्व (ग्रुप–7) विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा परिपत्र दिनांक 25.01.2012 तथा 26.06.2012 एवं राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र दिनांक 26.06.2012 चारागाह भूमियों/जोहड, पायतन (catchment of Pond/Water redervoirs) और तालाब की भूमियों का निजी अथवा व्यावसायिक उपयोग हेतु आवंटन एवं नियमन के संबंध में परिपत्र भी जारी किये गये हैं। उक्त परिपत्रों एवं मौके पर अनाधिवासित है या नहीं की सही तथ्यात्मक स्थिति आवंटन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं होने से आवंटन किया गया है जो तथ्य एवं विधि की भूल है। पत्रावली में उपलब्ध जमाबन्दी संवत् 2070–73 के अनुसार उक्त भूमि की किस्म गैर मुमकिन चाह दर्ज रिकार्ड है। गिरदावरी संवत् 2070 से 2073 में भी भूमि की किस्म गैर मुमकिन चाह दर्ज है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम अपीलांट की अपील को स्वीकार कर रिमाण्ड किया जाना उचित समझते है।

7. फलस्वरूप अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर जिला कलक्टर भरतपुर का आवंटन आदेश दिनांक 13.12.2016 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि भूमि की किस्म, अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर द्वारा पारित निर्णय एवं राजस्व विभाग के परिपत्रों एवं राजस्थान भू राजस्व (स्कूलों, कॉलेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं, सार्वजनिक उपयोग के अन्य भवन निर्माणार्थ अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमियों को आवंटन) की शर्तें, 1963 नियम 1 (i) के संदर्भ में परीक्षण कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। अपील फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय प्रति के साथ वापस लौटाई जावे।

8. निर्णय आज दिनांक 24.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/7/24

(ब्रजेश कुमार चान्दोलिया)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर